

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

**अधिसूचना**

सं. 15/2017-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(83). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 54 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(83). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(83), दिनांक 28-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th June 2017

**NOTIFICATION**

No. 15/2017-State Tax (Rate)

No. F-10-43/2017/CT/V (83). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed under sub-section (3) of section 54 of the said Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, in case of supply of services specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.